कॉन्स्टल-नोकिया ने की साझेदारी

नई दिल्ली। स्पेस वर्ल्ड ग्रुप की सहायक कंपनी कॉन्स्टल और नोकिया ने पूरे भारत में अत्याधुनिक डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ऑप्टिकल ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की पैन इंडिया तैनाती के लिए एक रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की है। यह साझेदारी वेबस्केल इकोसिस्टम के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है और पूरे देश में भरोसेमंद, उच्च प्रदर्शन वाली ऑप्टिकल कनेक्टिविटी को आगे बढ़ा रहा है। इस विकास के साथ कॉन्स्टल का फाइबर रोलआउट निर्बाध कनेक्टिविटी को पावर देने के लिए उच्च क्षमता वाला डिजिटल सेवा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करेगा, जिसकी शुरुआत मुंबई, भारत के प्रमुख डेटा सेंटर हब से होगी और आखिरकार पूरे भारत में इसका विस्तार होगा।

रिलायंस डिजिटल की इंडिया सेल में मिलेगा कैशबैक का ऑफर

एजेंसियां —मुंबई

रिलायंस डिजिटल ने डिजिटल इंडिया सेल की वापसी की घोषणा की है। यह सेल ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेस पर शानदार ऑफर्स लेकर आई है। आज से शुरू होने वाली यह सेल 26 जनवरी तक चलेगी। ग्राहक 26000 तक इंस्टंट बैंक डिस्काउंट, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन पर 30000 तक कैशबैक, और न्यू पेमेंट पर 5 फीसदी अनलिमिटेड डिस्काउंट वाली जबरदस्त बचत का फायदा उठा सकते हैं। टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना, ज़्यादा आसान और किफायती बनाने के लिए डिजाइन की गई यह सेल, प्रमुख ब्रांड्स और प्रोड्क्ट कैटेगरी में आकर्षक डील्स दे रही है। डिजिटल इंडिया सेल देश भर के सभी रिलायंस डिजिटल और मायजियो स्टोर्स के साथ-साथ www.reliancedigital.in पर ऑनलाइन भी उपलब्ध है। रिलायंस डिजिटल भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर है। यह 800 से ज्यादा शहरों में मौजूद है, जिसमें 690 से भी ज्यादा बड़े फॉर्मेट वाले रिलायंस डिजिटल स्टोर्स और 900 से भी ज्यादा माय जियो स्टोर्स हैं, जो देश के कोने.कोने में ग्राहकों की सेवा में कार्यरत हैं और सभी के लिए बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी पहुंच में ला रहे हैं।

नौकर ने गल्ले से उड़ाए साढ़े आठ लाख

जालंधर की स्पोर्ट्स मार्केट में वारदात, दुकानदार की गाड़ी भी ले गया आरोपी

निजी संवाददाता — जालंधर

जालंधर वेस्ट के बस्ती-9 की स्पोर्ट्स मार्केट में बुधवार देर रात सन फ्लाई दुकान के गल्ले से उनका ही कर्मचारी 8.50 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। जब दुकान के मालिक ने आकर देखा तो उसके होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने चोरी की सूचना पुलिस को दी। यह सारी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। दुकान की मालकिन मधु गुप्ता ने बताया कि उनकी शॉप पर काम करने वाला सोनू तिजोरी से साढ़े आठ लाख रुपए लेकर फरार हो गया। उसने बताया कि किसी ग्राहक की पेमेंट आई हुई थी, जिसे उनके पति गलती से दुकान की तिजोरी में ही भूल गए थे। चोरी के बाद सोनू दुकान की गाड़ी लेकर वहां से फरार हो गया था। उन्होंने बताया कि उन्हें पुलिस का फोन आया और उन्होंने कहा कि उनकी गाड़ी लावारिस हालत में अंबाला से बरामद हुई है। इसके बाद उनके पति अंबाला के लिए निकल गए। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज बरामद की। पुलिस दुकान के आसपास के कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि चोरों की पहचान की जा सके। फिलहाल पीड़ितों ने अपने कर्मचारी सोनू के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। पुलिस का कहना है कि आरोपी की लोकेशन ट्रेस की जा रही है और उसे जल्द आरोपी को काबू कर लिया जाएगा।

OFFICE OF THE MUNICIPAL COUNCIL KULLU, DISTRICT KULLU, H.P

No. MCK/ENGG/PARKING/2026/ Dated:

E-Procurement Notice
INVITATION FOR BIDS (IFB)

The Executive Officer, Municipal Council Kullu, invites online bids in electronic tendering system, renting and leasing out parking places through. Proposals are invited from the interested companies/firms / professionals or individuals for the same.

Job No.	Name of the work	EMD Amount	Contract Period	Cost of Tender Form
1.	Renting/Leasing out Parking place Gandhinagar Ward No. 11 MC Kullu	1,00,000/-	3 Years	2,000
2.	Renting/Leasing out Parking place Kala Kender at Dhalpur Kullu.	1,00,000/-	3 Years	2,000
3.	Renting/Leasing out Parking place Akahar Bazzar parking (River Side) at Kullu.	1,00,000/-	3 Years	2,000
4.	Renting/Leasing out bus adda Entry fee at Dhalpur Kullu	50,000/-	3 Years	2,000

Key Dates:

1.	Date of online publication	From 21.1.2026 at 05:00 PM
2.	Document Downloaded Start Date	From 21.01.2026 at 06:00 PM
3.	Bid Submission start date	From 21.01.2026 at 06:00 PM
4.	Documents downloaded close date	From 30. 01.2026 at 12:00 PM
5.	Bid submission close date	From 30.01.2026 at 12:00 PM
6.	Physical Submission of EMD, Cost of Tender & Documents Dates etc.	From 30.01.2026 at 03:00 PM
7.	Date of opening of technical and financial Bid	From 30.01.2026 at 03:30 PM

- **President MC Kullu Executive Officer MC Kullu, reserves the right to cancel/ reject any or all tender received without assigning any reason. The bid documents are available online and bid should be submitted in only online mode on website:-http://hptenders.gov.in**

Sr. Executive Officer
Municipal Council Kullu Distt. Kullu (H.P.)

आरईसी के महाप्रबंधक अवनीश भारती को आईसीपीए ट्रेजरी एक्सीलेंस अवॉर्ड

नई दिल्ली। आरईसी के महाप्रबंधक अवनीश भारती को आईसीपीए ट्रेजरी एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित करतीं पूर्व विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी

दिव्य हिमाचल ब्यूरो — नई दिल्ली

विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कार्यरत कंपनी आरईसी लिमिटेड के महाप्रबंधक (वित्त) अवनीश कुमार भारती को ट्रेजरी प्रबंधन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए आईसीपीए ट्रेजरी एक्सीलेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह प्रतिष्ठित सम्मान नेशनल फाइनांस कॉन्क्लेव एंड अवॉर्ड्स 2026 के अवसर पर नई दिल्ली स्थित ऐतिहासिक विज्ञान भवन में आयोजित समारोह के दौरान प्रदान किया गया। इस अवसर पर अवनीश कुमार भारती को यह सम्मान पूर्व विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी एवं पूर्व पर्यावरणए वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डा. हर्षवर्धन द्वारा देश के वित्त, बैंकिंग एवं नीति निर्माण क्षेत्र से जुड़े कई वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों की उपस्थिति में प्रदान किया गया।

हरिद्वार में पतंजलि एमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल

निजी संवाददाता— हरिद्वार

हरिद्वार। पतंजलि एमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का उद्घाटन करते गृह मंत्री अमित शाह

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को हरिद्वार में नवनिर्मित अस्पताल पतंजलि एमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का विधिवत लोकार्पण किया। पतंजलि योगपीठ द्वारा संचालित विश्व के प्रथम इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम तथा योग, आयुर्वेद व आधुनिक चिकित्सा के समन्वय का वैश्विक केंद्र पतंजलि एमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल समस्त भारत के नागरिकों को विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निरीक्षण भी किया और इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम की इस पहल को सराहा। उन्होंने कहा कि यह हॉस्पिटल विश्व का प्रथम हाइब्रिड हॉस्पिटल बन गया है। यहां पहुंचने पर गृह मंत्री का पतंजलि योगपीठ परिवार की ओर से योग गुरु रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने कई संतों, भक्तों, शिष्यों, पतंजलि गुरुकुलम एवं आचार्यकुलम के विद्यार्थियों के साथ हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ के संस्थापक अध्यक्ष स्वामी रामदेव ने कहा कि यह संपूर्ण पतंजलि परिवार के लिए गौरव की बात है कि आज विश्व के इतिहास के प्रथम इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल का लोकर्पण अपने राष्ट्रधर्म के साथ-साथ सनातन धर्म को सर्वोपरि रखने वाले, योग-आयुर्वेद को सर्वोपरि देखने वाले देश के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा किया गया।

मारवल चाय अब नए पैक में

गुरुग्राम। देश के तेज़ी से बढ़ते पैकेज्ड चाय बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए भारत की प्रमुख पैकेज्ड चाय कंपनी मारवल लिमिटेड ने अपने बेस्ट सेलिंग उत्पादों मारवल इलायची टी और मारवल यलो टी के लिए नए डिजाइन किए गए पैकेजिंग को लांच किया है। यह नया लुक ऐसे समय में शेल्फ विजिबिलिटी और उपभोक्ता जुड़ाव बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है, जब देश में ब्रांडेड चाय की खपत में रिकॉर्ड वृद्धि देखी जा रही है। मारवल टी के एमडी परवीन जैन तथा संजय जैन ने कहा कि मारवल टी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में तेज़ी से अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है और हमारी सेल्स व मार्केटिंग टीमें इस कार्य को सक्रिय रूप से आगे बढ़ा रही हैं।

मेधावियों को एक लाख का चेक सौंपा

माहिलपुर। श्रीगुरु गोबिंद सिंह खालसा कालेज माहिलपुर में आयोजित समारोह में एसपी सिंह ओबेरॉय चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रशासकों ने मेधावी छात्रों को एक लाख रुपए का चेक कालेज के प्रिंसीपल डा. परविंदर सिंह को सौंपा। इस अवसर पर ट्रस्ट के होशियारपुर जोन के प्रभारी अज्ञापाल सिंह, राकेश कुमार, चंद्र प्रकाश, कालेज के कार्यालय कर्मचारी गुरप्रीत सिंह, अनिल जंडोली, कमलप्रीत सिंह और छात्र उपस्थित थे

नई दिल्ली। 'दिव्य हिमाचल' मीडिया ग्रुप के मीडिया मार्केटिंग विभाग के वाइस प्रेसिडेंट विपिन खर्बंदा ने गुरुवार को सहायक महाप्रबंधक (जनसंपर्क) विजय कुमार से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें व्हाई इंडिया नीड्स द प्रेसिडेंट सिस्टम नामक पुस्तक भेंट की। यह पुस्तक 'दिव्य हिमाचल' मीडिया ग्रुप के सीएमडी श्री भानु धमिजा द्वारा लिखित है

दिव्य हिमाचल क्लासिफाइड
छोटा विज्ञापन, बड़ा लाभ
संपर्क करें: 93180-49232, 94180-65257
कांगड़ा 01892-307700, 264713, फैक्स: 264700
शिमला 0177-2629030, 2627030
चंडीगढ़ 0172-4707700, 4192946

NOTICE

- I, Shivangi Thakur Village Balwar P.O. Jukhala Tehsil Sadar Distt. Bilaspur H.P. declares that in my conductor's license my father's name wrongly recorded as Madan Lal. His correct name is Madan Lal Thakur. All concerned note.
Advt. No.: 12879

- I, NEERAJ KUMAR S/o BHAGAT RAM Resident of Vill. GADOURI, PO. SHAMSHI, Teh. and Distt. KULLU, PIN:175126 H.P., INDIA declare that I have changed my name from NEERAJ to NEERAJ KUMAR.
Advt. No.: 12882

- I, JC 521886Y Sub (Hony Capt) Vijay Singh (Retd.) S/o Sh. Mauji Ram R/o VPO Karyara, Teh. Dehra, Distt. Kangra (H.P) declares that in my Army record my Daughter's name wrongly entered as Sakashi Kumari. Whereas her correct name is Sakshi Kumari. Please note.
Advt. No.: 12885

- मैं, चमन लाल शर्मा पुत्र बिहारी लाल, गांव समरियाल, डाकघर पंचरुखी, तह. पालमपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.) यह घोषणा करता हूं कि मेरा नाम चमन लाल SBI के सर्विस रिकार्ड में गलत दर्ज है। मेरा सही नाम चमन लाल शर्मा है। कृपया ध्यान दें।
Advt. No.: 12877

- मैं, सीता खड़का पत्नी स्व. तिलक राम वासी हाल मकान 1139/7 गोविंदपुरा मनीमाजरा चंडीगढ़ बयान करती हूं कि मेरे पुत्र के जन्म प्रमाण में विशाल और मां का नाम सीता है, जबकि पुत्र का नाम विशाल ओली, माता का नाम सीता खड़का है जो सही है। सभी संबंधित कृपया नोट करें।
Advt. No.: 12881

नाम परिवर्तन

- मैं, गिरी राज पुत्र जीवन लाल गांव बकशाहल, डाकघर व तहसील सैंज कुल्लू हि.प्र. बयान करता हूं कि मैं अपने सभी दस्तावेजों में अपनी जन्मतिथि 05/04/2005 की जगह 04/05/2005 सही दर्ज करना चाहता हूं और मैं अपना नाम गिरधारी लाल की जगह गिरी राज सही दर्ज करना चाहता हूं। सभी संबंधित नोट करें।
Advt. No.: 12874

- मैं, नीता देवी पत्नी रमेश चंद निवासी ग्राम कांडो दुगाना, डाकघर दुगाना, तहसील कमरऊ, जिला सिरमौर (हि.प्र.) घोषणा करती हूं कि मेरी बेटी लक्षिता ठाकुर का नाम आधार कार्ड (UIN - 9483-3775-9612) में ठाकुर लक्षिता पुंडीर (जन्म तिथि 02-09-2012) दर्ज है। सभी दस्तावेज में इसे लक्षिता ठाकुर दर्ज किया जाए।
Advt. No.: 12902

बेदखली सूचना

- मैं, रोशन लाल, पुत्र स्व. संत राम, निवासी मकान नं. 3, चना मोहल्ला, तहसील व जिला सोलन, (हि.प्र.) घोषणा करता हूं कि मेरा बेटा विक्रम कुमार व उसकी पत्नी सुनिता देवी, मेरे व मेरी धर्मपत्नी कौशल्या देवी के कहने-सुनने से बाहर हैं व हमारी कोई भी बात नहीं मानते हैं। अत: मैं अपने पुत्र विक्रम कुमार व उसकी पत्नी सुनिता देवी को अपनी तमाम चल-अचल संपत्ति से बेदखल करता हूं। भविष्य में उनके किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिए मैं व मेरा परिवार जिम्मेदार नहीं होगा।
Advt. No.: 12901

कोर्ट नोटिस

Notice to Appear/Attend Proceedings of DLM&SFC-Ldh

Through this Publication this is for constructive Notice for respondent M/s HIMVALLEY FOODS, PLOT No. 16/11, Industrial Area, Himachal Pradesh to appear in person or through Authorized representative before the District Level Micro & Small facilitation Council Ludhiana, District Industries Centre, Ludhiana on dated 16.02.2026 Regarding claim reference petition submitted by GREEN FUEL INDIA FOCAL POINT KHANNA U/s 18 (1) of MSME Act 2006 bearing Reference, No. PB/12/M/LUD/03375 respondent still fails or omits to appear as above then arbitration proceeding shall be conducted as per section 23 & 25 of arbitration & Conciliation Act and award shall also be passed on the basis of evidence before it.

Member Secretary cum General Manager
District Industries Centre
Industrial Estate, Ludhiana
Email id: dicludhiana5@gmail.com
Ludhiana.msefc@gmail.com

In the Court of Senior Civil Judge Kinnaur at ReckongPeo District Kinnaur H.P.

In re:- **Case No. SFD/08/2025**

Chander Prakash S/o Sh. Birbal Singh alias Balbir Singh, R/o Village and Post Office Huri Gram Panchayat Yangpa-I, Tehsil Nichar, Kinnaur H.P.

Plaintiff......

Versus

The General Public

Defendant.......

Suit for Declaration

Notice to General Public

Whereas, in the above noted case it has been proved to the satisfaction of the court that the above named defendant cannot be served in the ordinary way, hence this proclamation is hereby issued against them to appear in the court on 20.03.2026 at 10:00 A.M. to defend the case personally or through an authorised agent or pleader falling which ex-parte proceedings will be taken against them.

Given under my hand and seal of the court, this 16th day of January, 2026.

Seal **Senior Civil Judge Kinnaur District at ReckongPeo.**

कार्यालय आफिसर पंजीयक विवाह दी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 एवं उपमंडल अधिकारी (ना.) इंदौरा जिला कांगड़ा हि.प्र.

क्रमांक /रीडर/विवाह/2026 दिनांक:

1. श्री रूस्तम कुमार पुत्र श्री हंस राज निवासी गांव व डा. इन्दपुर, तहसील इन्दौरा, जिला काँगड़ा, हि.प्र.
2. मलीहा पुत्री श्री महमूद हसन निवासी D-717 Old / 288, Gali No. 15, Shre Ram Colony, Rajeev Nagar Karawal Nagar, PO Karawal Nagar, North East Delhi-110094.

बनाम आम जनता

विषय: इश्तहार मुनादि बाबत विवाह पंजीकृत बारे।

उपरोक्त निवेदकों ने हमारे सन्मुख आवेदन प्रस्तुत किया है कि उन्होंने आपस में विवाह कर लिया है, जिसे वह पंजीकृत करवाना चाहते हैं । अतः अंडर दी स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की धारा 5 के अंतर्गत सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति/व्यक्तियों को उक्त विवाह पंजीकृत करने बारे कोई आपत्ति /एतराज हो तो वे किसी भी कार्य दिवस को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में आकर या दिनांक 23-02-2026 तक असालतन या वकालतन उपस्थित/हाजिर होकर अपना एतराज/आपत्ति दर्ज करवा सकता है, अन्यथा उक्त विवाह नियमानुसार पंजीकृत कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 20-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर से जारी हुआ।

उपमंडल अधिकारी (ना.)
एवं आफिसर पंजीयक विवाह
इंदौरा जिला कांगड़ा हि.प्र.

ब अदालत कार्यकारी दंडाधिकारी, (नायब तहसीलदार) उपतहसील लम्बलू, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)।

किस्म मुकदमा:- जन्मतिथि पंजीकरण

आगामी तारीख पेशी: 19.02.2026

श्रीमती मीरां देवी पुत्री श्री भगवान दास वासी गांव व डा. चमनेड, उपतहसील लंबलू, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) **...प्रार्थीगण**

आम जनता

नोटिस बनाम आम जनता

उपरोक्त अनवान वाला में आपको लिखा जाता है कि श्रीमती मीरां देवी पुत्री श्री भगवान दास वासी गांव व डा. चमनेड, उपतहसील लंबलू, जिला हमीरपुर (हि.प्र.) ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र दायर किया है, जिसमें प्रार्थी ने प्रार्थना की है कि उसका जन्म दिनांक 06/06/1968 को महाल चमनेड में हुआ है, परंतु जन्मतिथि का इंद्राज रजिस्ट्रार जन्म/मृत्यु में दर्ज नहीं हुआ है। साबका ग्राम पंचायत चमनेड में दर्ज नहीं हुआ है। अतः दर्ज किए जाने की प्रार्थना की है।

अतः आम जनता को बजरिया मुश्त्री मुनादी/अखबार इश्तहार सूचित किया जाता है कि उक्त इंद्राज बारे कोई उजर/एतराज है तो वह असालतन/वकालतन दिनांक 19/2/2026 को प्रातः 11:00 बजे हाजिर न्यायालय आकर उजर कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

हस्ता./-
कार्यकारी दंडाधिकारी
लंबलू, जिला हमीरपुर हि.प्र.

कोर्ट नोटिस

अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी हरिपुर जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

केस नंबर: 02/TC/26
तारीख दायर: 21-01-2025
तारीख पेशी: 04-02-2026

साहिब सिंह पुत्र लछमन सिंह निवासी महाल दरगैह, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा हि.प्र. **...प्रार्थी**

बनाम आम जनता

...प्रतिवादी

विषय : प्रार्थना पत्र बाबत नाम दुरुस्ती वाकया महाल दरगैह, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा हि.प्र. में उदघोषणा इश्तहार अखबार/ मुन्यादी करवाने बारे।

उपरोक्त विषय बारे साहिब सिंह पुत्र लछमन सिंह निवासी महाल दरगैह, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा हि.प्र. ने आवेदन पत्र बाबत अपने नाम की दुरुस्ती बारे दायर किया है कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड स्थित महाल दरगैह, तहसील हरिपुर, जिला कांगड़ा हि.प्र. में साहबू दर्ज है व स्कूल प्रमाण पत्र, परिवार नकल, आधार कार्ड, पैन कार्ड आदि दस्तावेज में उसका सही नाम साहिब सिंह दर्ज है। प्रार्थी उक्त महाल दरगैह, तहसील हरिपुर के राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम साहिब सिंह उपनाम साहबू दर्ज करवाना चाहता है।

इस बारे आरंभिक छानबीन क्षेत्रीय राजस्व इकाई से करवाई गई, जिसमें पाया गया कि प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड उक्त महाल दरगैह में साहबू पुत्र लच्छू व अन्य दस्तावेज में साहिब सिंह पुत्र लछमन सिंह दर्ज है जो कि रिपोर्ट क्षेत्रीय अभिकरण अनुसार दुरुस्त होना वाजिब है।

अतः इस इश्तहार/ सूचना द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस उपरोक्त नाम की दुरुस्ती बारे कोई आपत्ति हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 04-02-2026 को इस अदालत में प्रातः 10.00 बजे उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है, अन्यथा गैर हाजिरी की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती करने बारे नियमानुसार आदेश पारित कर दिए जाएंगे तथा बाद में कोई भी उजर मान्य नहीं होगा।

आज दिनांक 05-01-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारीह हुआ है।

हस्ता./-
सहायक समाहर्ता हरिपुर, जिला कांगड़ा (हि.प्र.)

पंजाब नैशनल बैंक भरोसे का प्रतीक ! **punjab national bank** ...the name you can BANK upon !

एआरएमबी: शिमला रिजेंट हाउस, दि माल रोड, शिमला-171001
ई-मेल: CS8314@pnb.co.in

अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान को साथ पढ़ते हुए प्रतिभूति हित अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन तथा वित्तीय परिसंपत्तियों के पुनर्निर्माण एवं प्रतिभूतिकरण के अधीन अचल परिसंपत्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना।

आम जनता तथा विशेष तौर पर ऋणियों व गारंटरों को एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि सिक्योर्ड क्रेडिटर को मोर्टगेज्ड/ प्रभारित निम्न वर्णित अचल संपत्तियों का बैंक/सिक्योर्ड क्रेडिटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा संरचनात्मक/ भौतिक/ प्रतीकात्मक कब्जा ग्रहण किया गया है, जिसकी संबंधित ऋणियों एवं गारंटरों से बैंक/ सिक्योर्ड क्रेडिटर की नियत देय राशि की वसूली हेतु निम्न वर्णित तालिका में वर्णित अनुसार तिथि पर **''जैसी है जहां है'', ''जो है जैसी है'' तथा ''जैसी भी है जहां है''** आधार पर बिक्री की जाएगी। आरक्षित कीमत व धरोहर राशि संबंधित संपत्तियों के अंतर्गत निम्न तालिका में वर्णित अनुसार होगी।

लॉट सं.	शाखा का नाम / खाते का नाम / खाता/गारंटर का नाम एवं पता, खाता	सिक्योर्ड परिसंपत्तियों की अनुसूची: मोर्टगेज्ड अचल संपत्ति का विवरण/ मालिक का नाम (संपत्तियों के मोर्टगेजर)	ए) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना की तिथि बी) बकाया देय राशि सी) सरफेसी अधिनियम 2002 की धारा 13(4) के अधीन कब्जे की तिथि डी) कब्जे की प्रकृति- (प्रतीकात्मक/भौतिक)	ए) आरक्षित कीमत बी) ईएमडी सी) बोली वृद्धि राशि	ई-नीलामी की तिथि/समय / सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को ज्ञात भारों का विवरण
1.	**बीओ: टाहलीवाल** **मेसर्स ग्वाला कैटल फीड** **(भागीदारी फर्म):** मेसर्स ग्वाला कैटल फीड, प्लाट सं. 57-58, फेस 1ए, औद्योगिक क्षेत्र, टाहलीवाला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हिप्र.) **(भागीदार एवं गारंटर):** श्रीमती ऊषा चीतु पत्नी श्री बाम देव निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, उप तहसील मेहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हिप्र.) 174301 **(भागीदार एवं गारंटर):** श्रीमती सुमन चीतु पत्नी श्री हरीश चीतु निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, उप तहसील मेहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हिप्र.) 174301	भूमि माप 0-00-43 हेक्ट्स, विवरण निम्नानुसार:- 1) खेवट सं. 213, खतौनी सं. 268 से 273, खसरा सं. 148, 146, 157, 147, 154, 149, कित्ता-6 में सम्मिलित भूमि माप 0-07-46 हेक्ट्स में से 3/64 हिस्से के तौर पर भूमि माप 0-00-35 हेक्ट्स। 2) मोहाल टाहलीवाल उपरला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हिप्र.) में स्थित वर्ष 2017-2018 के लिए जमाबंदी में प्रविष्ट अनुसार खेवट सं. 214, खतौनी सं. 274, खसरा सं. 153 में सम्मिलित भूमि माप 0-07-71 हेक्ट्स में से 3/64 हिस्से के तौर पर भूमि माप 0-00-08 हेक्ट्स तथा श्री सुरिंदर कुमार पुत्र श्री संत राम, वार्ड सं. 4, वीपीओ नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हिप्र.) के नाम में उस पर संलग्न सभी प्रकार के ईजमेंट के सभी अधिकारों के साथ उस पर निर्मित निर्माण एवं सुपरस्ट्रक्चर।	ए) 20.12.2024 बी) रु. 1,11,88,368.44 (केवल एक करोड़ ग्यारह लाख अठासी हजार तीन सौ अड़सठ रुपए एवं चौवालीस पैसे) तथा पूर्ण राशि के भुगतान तक संविदात्मक दर पर आगामी ब्याज के साथ सी) 20.03.2025 डी) प्रतीकात्मक	रु. 20.40 लाख / रु. 2.04 लाख / रु. 1.00 लाख	18.02.2026 को प्रात: 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे / ज्ञात नहीं

(भागीदार एवं गारंटर): श्री सुनील कुमार चीतु पुत्र श्री अविनाश चीतु, निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, उप तहसील मेहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हिप्र.) 174301
(भागीदार, गारंटर एवं मोर्टगेजर के कानूनी उत्तराधिकारी): स्व. श्री सतीश कुमार चीतु) श्रीमती कुसुम चीतु पत्नी स्व. श्री सतीश कुमार चीतु निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हिप्र.) 174301
(भागीदार, गारंटर एवं मोर्टगेजर) स्व. श्री सतीश कुमार चीतु के कानूनी उत्तराधिकारी) श्री नंदन चीतु पुत्र स्व. श्री सतीश कुमार चीतु, निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हिप्र.) 174301
(भागीदार, गारंटर एवं मोर्टगेजर) स्व. श्री सतीश कुमार चीतु के कानूनी उत्तराधिकारी) श्री वंश चीतु पुत्र स्व. श्री सतीश कुमार चीतु निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हिप्र.) 174301
(गारंटर एवं मोर्टगेजर) श्री रौनक लाल पुत्र श्री मदन लाल निवासी गांव मोजोवाल, तहसील नंगल, जिला रोपड़ (पंजाब)-140126
(गारंटर एवं मोर्टगेजर) श्री सुरिंदर कुमार पुत्र श्री संत राम निवासी वार्ड सं. 4, वीपीओ नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हिप्र.)-174507

2.	**बीओ: टाहलीवाल** **मेसर्स ग्वाला कैटल फीड** **(भागीदारी फर्म):** मेसर्स ग्वाला कैटल फीड, प्लाट सं. 57-58, फेस 1ए, औद्योगिक क्षेत्र, टाहलीवाला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हि.प्र.) **(भागीदार एवं गारंटर):** श्रीमती ऊषा चीतु पत्नी श्री बाम देव निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, उप तहसील मेहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हिप्र.) 174301	निम्न वर्णित अनुसार वाणिज्यिक भूमि एवं भवन के सभी भाग एवं पार्सल:- गांव नायल नंगल, एचबी सं. 532, तहसील-नंगल, जिला रूपनगर (पंजाब) में स्थित वर्ष 2015-16 के लिए जमाबंदी में प्रविष्ट अनुसार श्री रोनक लाल पुत्र श्री मदन लाल के नाम में खाता सं. 192/193, खसरा सं. 100/30 (1-0) में सम्मिलित भूमि माप 1 के-0 मरले में से 11/20 हिस्से के तौर पर भूमि माप 0 के-11 मरले।	ए) 20.12.2024 बी) रु. 1,11,88,368.44 (केवल एक करोड़ ग्यारह लाख अठासी हजार तीन सौ अड़सठ रुप, एवं चौवालीस पैसे) तथा पूर्ण राशि के भुगतान तक संविदात्मक दर पर आगामी ब्याज के साथ सी) 20.03.2025 डी) प्रतीकात्मक	रु. 47.60 लाख / रु. 4.76 लाख / रु. 1.00 लाख	18.02.2026 को प्रात: 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे / ज्ञात नहीं

(भागीदार एवं गारंटर): श्रीमती सुमन चीतु पत्नी श्री हरीश चीतु निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, उप तहसील मेहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हिप्र.) 174301
(भागीदार एवं गारंटर): श्री सुनील कुमार चीतु पुत्र श्री अविनाश चीतु, निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, उप तहसील मेहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हिप्र.) 174301
(भागीदार, गारंटर एवं मोर्टगेजर के कानूनी उत्तराधिकारी): स्व. श्री सतीश कुमार चीतु) श्रीमती कुसुम चीतु पत्नी स्व. श्री सतीश कुमार चीतु निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हिप्र.) 174301
(भागीदार, गारंटर एवं मोर्टगेजर) स्व. श्री सतीश कुमार चीतु के कानूनी उत्तराधिकारी) श्री नंदन चीतु पुत्र स्व. श्री सतीश कुमार चीतु, निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हिप्र.) 174301
(भागीदार, गारंटर एवं मोर्टगेजर) स्व. श्री सतीश कुमार चीतु के कानूनी उत्तराधिकारी) श्री वंश चीतु पुत्र स्व. श्री सतीश कुमार चीतु निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हिप्र.) 174301
(गारंटर एवं मोर्टगेजर) श्री रौनक लाल पुत्र श्री मदन लाल निवासी गांव मोजोवाल, तहसील नंगल, जिला रोपड़ (पंजाब)-140126
(गारंटर एवं मोर्टगेजर) श्री सुरिंदर कुमार पुत्र श्री संत राम निवासी वार्ड सं. 4, वीपीओ नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हिप्र.)-174507

3.	**बीओ: टाहलीवाल** **मेसर्स ग्वाला कैटल फीड** **(भागीदारी फर्म):** मेसर्स ग्वाला कैटल फीड, प्लाट सं. 57-58, फेस 1ए, औद्योगिक क्षेत्र, टाहलीवाला, तहसील हरोली, जिला ऊना (हिप्र.) **(भागीदार एवं गारंटर):** श्रीमती ऊषा चीतु पत्नी श्री बाम देव निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, उप तहसील मेहतपुर बसडेहरा, जिला ऊना (हिप्र.) 174301	निम्न वर्णित अनुसार वाणिज्यिक भूमि एवं भवन के सभी भाग एवं पार्सल:- गांव नायल नंगल, एचबी सं. 532, तहसील नंगल, जिला रूपनगर (पंजाब) में स्थित वर्ष 2015-16 के लिए जमाबंदी में प्रविष्ट अनुसार श्री रोनक लाल पुत्र श्री मदन लाल के नाम में खाता सं. 192/193, खसरा सं. 100/30 (1-0) में सम्मिलित भूमि माप 1के-0 मरले में से 11/20 हिस्से के तौर पर भूमि माप 0के-11 मरले।	ए) 20.12.2024 बी) रु. 1,11,88,368.44 (केवल एक करोड़ ग्यारह लाख अठासी हजार तीन सौ अड़सठ रुपए एवं चौवालीस पैसे) तथा पूर्ण राशि के भुगतान तक संविदात्मक दर पर आगामी ब्याज के साथ सी) 20.03.2025 डी) प्रतीकात्मक	रु. 63.75 लाख / रु. 6.38 लाख / रु. 1.00 लाख	18.02.2026 को प्रात: 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे / ज्ञात नहीं

(भागीदार एवं गारंटर): श्रीमती सुमन चीतु पत्नी श्री हरीश चीतु निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, उप तहसील मेहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हिप्र.) 174301
(भागीदार एवं गारंटर): श्री सुनील कुमार चीतु पुत्र श्री अविनाश चीतु, निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, उप तहसील मेहतपुर बसदेहड़ा, जिला ऊना (हिप्र.) 174301
(भागीदार, गारंटर एवं मोर्टगेजर के कानूनी उत्तराधिकारी): स्व. श्री सतीश कुमार चीतु) श्रीमती कुसुम चीतु पत्नी स्व. श्री सतीश कुमार चीतु निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हिप्र.) 174301
(भागीदार, गारंटर एवं मोर्टगेजर) स्व. श्री सतीश कुमार चीतु के कानूनी उत्तराधिकारी) श्री नंदन चीतु पुत्र स्व. श्री सतीश कुमार चीतु, निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हिप्र.) 174301
(भागीदार, गारंटर एवं मोर्टगेजर) स्व. श्री सतीश कुमार चीतु के कानूनी उत्तराधिकारी) श्री वंश चीतु पुत्र स्व. श्री सतीश कुमार चीतु निवासी वार्ड सं. 3, वीपीओ सनोली, तहसील ऊना, जिला ऊना (हिप्र.) 174301
(गारंटर एवं मोर्टगेजर) श्री रौनक लाल पुत्र श्री मदन लाल निवासी गांव मोजोवाल, तहसील नंगल, जिला रोपड़ (पंजाब)-140126
(गारंटर एवं मोर्टगेजर) श्री सुरिंदर कुमार पुत्र श्री संत राम निवासी वार्ड सं. 4, वीपीओ नंगल कलां, तहसील हरोली, जिला ऊना (हिप्र.)-174507

4.	**बीओ: बचत भवन ऊना** **मेसर्स राघव इंडस्ट्रीज** **मेसर्स राघव इंडस्ट्रीज प्रोप. श्री भूषण कुमार शर्मा** पुत्र श्री किशोरी लाल शर्मा वीपीओ बासल, तहसील एवं जिला ऊना हिप्र. पिन-174303 **(प्रोपराईटर एवं मोर्टगेजर):** श्री भूषण कुमार शर्मा पुत्र श्री किशोरी लाल शर्मा 1) निवासी वीपीओ बासल, तहसील एवं जिला ऊना हि.प्र. पिन-174303, 2) निवासी मकान सं. 494, सेक्टर-6, मनसा देवी कॉम्पलेक्स, पंचकूला, हरियाणा-134114, 3) निवासी मकान सं. 6325/जीएफ, राजीव विहार, मनीमाजरा चंडीगढ़-160101	वाणिज्यिक भूमि एवं भवन माप 4के-10 मरले विवरण निम्नानुसार:- ए) खेवट सं. 75 मिन खतौनी 165 मिन खसरा सं. 494, 495, किता-2 में सम्मिलित भूमि माप 15के-2 मरले में से 49/302 हिस्से के तौर पर भूमि माप 2के-9 मरले। बी) खेवट सं. 221 मिन, खतौनी सं. 407 मिन, खसरा सं. 497, 499, 500/1, 502 किता-4 में सम्मिलित भूमि माप 35के-5 मरले में से 36/705 हिस्से के तौर पर भूमि माप 1के-16 मरले। सी) अप मोहाल, रैनसारी, निचली, तहसील एवं जिला ऊना (हिप्र) में स्थित वर्ष 1981-82 के लिए जमाबंदी में प्रविष्ट अनुसार खेवट सं. 220 मिन, खतौनी सं. 406 मिन खसरा सं. 2302/496, 498 किता 2 में सम्मिलित भूमि माप 0के-17 मरले में से 5/17 हिस्से के तौर पर भूमि माप 0के-5 मरले।	ए) 07.12.2021 बी) रु. 11,01,76,103.97 (केवल ग्यारह करोड़ एक लाख छिहत्तर हजार एक सौ तीन रुपए एवं सत्तानवे पैसे) तथा पूर्ण राशि के भुगतान तक संविदात्मक दर पर आगामी ब्याज के साथ सी) 25.07.2023 डी) भौतिक	रु. 312.00 लाख / रु. 31.20 लाख / रु. 1.00 लाख	18.02.2026 को प्रात: 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे / ज्ञात नहीं

(गारंटर): श्रीमती नीलम शर्मा विधवा स्व. श्री शिव कुमार शर्मा, 1) निवासी मकान सं. 1, माउंट एवेन्यू समीप माउंट कार्मेल स्कूल रकड़, तहसील एवं जिला ऊना (हिप्र) पिन-174303, 2) निवासी 55/12, कृष्णा नगर, होशियारपुर 144211
(गारंटर एवं मोर्टगेजर): श्री सागर शर्मा पुत्र श्री शिव कुमार शर्मा 1) निवासी मकान सं. 1, माउंट एवेन्यू समीप माउंट कार्मेल स्कूल रकड़, तहसील एवं जिला ऊना (हिप्र) पिन-174303, 2) निवासी 55/12, कृष्णा नगर, होशियारपुर 144211
(गारंटर एवं मोर्टगेजर): श्री राजा पृथु शर्मा पुत्र श्री विजय शर्मा निवासी मकान सं. 1026, सेक्टर 40/बी, चंडीगढ़, पिन-160036
(गारंटर एवं मोर्टगेजर): श्री पवन कुमार शर्मा पुत्र श्री किशोरी लाल शर्मा, 1) वीपीओ बासल, तहसील एवं जिला ऊना (हिप्र) पिन-174303, 2) निवासी गांव ल्योडी, तहसील एवं जिला ऊना (हिप्र)-174303,
(गारंटर): श्रीमती मीनू शर्मा पत्नी श्री भूषण कुमार शर्मा, 1) निवासी वीपीओ बासल, तहसील एवं जिला ऊना (हिप्र), 2) निवासी मकान सं. 494, सेक्टर-6, मनसा देवी कॉम्पलेक्स, पंचकूला, हरियाणा-134114, 3) निवासी मकान सं. 6325/जीएफ, राजीव विहार, मनीमाजरा चंडीगढ़-160101

नियम एवं शर्ते : बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्दिष्ट नियम एवं शर्तों और निम्नलिखित आगामी शर्तों का विषय होगी: 1. संपत्तियां **''जैसी है जहां है'' तथा ''जो है जैसा है'' और ''जहां है जैसी है''** आधार पर बेची जाएंगी। 2. उक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सिक्योर्ड परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी के पूर्ण ज्ञान के अनुसार दर्ज किया गया है परंतु प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत जानकारी अथवा विलोपन के लिए जवाबदेह नहीं होगा। 3. अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिक्री वेबसाईट **https://baanknet.com/** पर प्रदान किए गए ई-नीलामी प्लेटफार्म के माध्यम से 18.02.2026 को प्रात: 10.00 बजे से सायं 04.00 बजे तक आयोजित की जाएगी। 4. बिक्री की विस्तृत नियम एवं शर्तों हेतु कृपया **https://baanknet.com** एवं **www.pnb.bank.in** पर संपर्क करें।

दिनांक: 21.01.2026
स्थान: शिमला

(हस्ता/-)प्राधिकृत अधिकारी
पंजाब नैशनल बैंक, सिक्योर्ड क्रेडिटर